# राजस्थान सरकार
# नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प 8(9) नविवि/राआम/2020 जयपुर, दिनांकः 10 MAY 2022

## आदेश

लीज राशि की गणना में एकरूपता लाने के उद्देश्य से इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनाक 30.01.2013 एवं 28.05.2020 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्राधिकरणों एवं न्यासों की भांति ही आवासीय एवं संस्थानिक आवंटनों में आवासीय दर पर 2.5 प्रतिशत की दर से तथा वाणिज्यिक आवंटनों में आवासीय दर पर 5 प्रतिशत की दर से लीज राशि की गणना किये जाने के आदेश जारी किये गये थे।

नगरीय भूमि निस्तारण नियम, 1974 के नियम 7(2) के अनुसार लीज राशि प्रत्येक 15 वर्ष बाद या प्रत्येक विक्रय पर 25 प्रतिशत वृद्वि के साथ पुनरीक्षण (Revision) किये जाने के तथा नियम 7(3) के अनुसार लीज राशि कब्जा देने की दिनांक से देय है तथा लीज राशि 8 वर्ष की एक मुश्त जमा कराने पर आवंटी या उसके Tranfree को प्रत्येक वार्षिक लीज राशि से मुक्त किये जाने का प्रावधान है। 10 वर्ष की एकमुश्त लीज जमा कराने पर फ्री–होल्ड पट्टा दिये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्त प्रावधानों के अनुसार अभियान अवधि में भूखण्डों के आवंटन के समय की आवासीय आरक्षित दर से गणना कर बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत प्रतिशत की छूट है तथा अग्रिम (8/10 वर्ष) एक मुश्त लीज राशि जमा करायी जाती है, तो बकाया राशि पर 60 प्रतिशत की छूट देय है।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रखित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम